संख्या– 56/2021/795/छप्पन-2021-31/2016(SIAS)

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2021

विषय: नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु प्रथम चरण में 06 ग्रामों की 1239 है0 व स्थापन क्षेत्र हेतु ग्राम- जेवर बांगर की 48.097 है0 अर्जित भूमि के प्रतिकर व प्रभावित कुटुम्बों को देय R&R हकदारियों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर के पत्रांक-690/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/नो0ग्री0अ0ए0जे0/गौतमबुद्धनगर दिनांक 30 मार्च, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु प्रथम चरण में 06 ग्रामों की 1239 है0 व स्थापन क्षेत्र हेतु ग्राम- जेवर बांगर की 48.097 है0 अर्जित भूमि के प्रतिकर व प्रभावित कुटुम्बों को देय R&R हकदारियों पर आने वाले व्यय की वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा अपनी अंशधारिता के अनुसार निर्गत किए जाने पर विचार किया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि रूपए में)

क्र0 सं0	विषय	अर्जित/क्रय की जाने वाली भूमि	अर्जित/क्रय की जाने वाली भूमि पर आने वाला व्यय
1	नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के अधिग्रहण से विस्थापित परिवारों को बसाने हेतु छूटी हुई भूमि 0.3620 है0 तथा उक्त क्षेत्र में 18 मीटर चौड़ी सड़क हेतु अतिरिक्त 0.2028 है0 भूमि क्रय/अर्जन हेतु	0.5648 है0	2,37,29,024.00
2	नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के 06 ग्रामों के अधिग्रहण से विस्थापित होने वाले कुटुम्बों को स्थापन क्षेत्र जेवर बांगर के आस-पास उनके द्वारा पूर्व से प्रयोग में लाये जा रहे कब्रिस्तान व श्मशानों के सापेक्ष, 1.7010 है0 कब्रिस्तान हेतु भूमि क्रय/ अधिग्रहण तथा 2.2250 है0 भूमि श्मशान हेतु क्रय/अधिग्रहण	3.9260 है0	11,14,19,880.00

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3	नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर हेतु ग्राम- रोही, दयानतपुर, किशोरपुर, रन्हेरा में भूमि अधिग्रहण से आच्छादित क्षेत्रफल में से, कुछ क्षेत्रफल अर्जन निकाय द्वारा उपलब्ध कराए गए अर्जन प्रस्ताव में अंकन से छूटी हुई 3.5533 है0 भूमि को अधिग्रहीत/क्रय किए जाने हेतु	3.5533 है0	8,81,21,840.00
योग		**8.0441 है0**	**22,32,70,744.00**

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु प्रथम चरण में 06 ग्रामों की 1239 है0 व स्थापन क्षेत्र हेतु ग्राम- जेवर बांगर की 48.097 है0 अर्जित भूमि के प्रतिकर व प्रभावित कुटुम्बों को देय R&R हकदारियों के लिए वांछित धनराशि रू0 22,32,70,744/- (रूपए बाईस करोड़ बत्तीस लाख सत्तर हजार सात सौ चौवालीस मात्र) के सापेक्ष राज्य सरकार की अंशधारिता 37.50% के अनुसार कुल धनराशि रू0 8,37,26,529/- (रूपए आठ करोड़ सैंतीस लाख छब्बीस हजार पॉच सौ उनतीस मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 8,37,26,529/- (रूपए आठ करोड़ सैंतीस लाख छब्बीस हजार पॉच सौ उनतीस मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

(4) स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(8) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vi) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि NIAL के शेष अंशधारकों नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भी अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध कराई जाएगी।

(12) नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के 06 ग्रामों के अधिग्रहण से विस्थापित होने वाले कुटुम्बों को स्थापन क्षेत्र जेवर बांगर के आस-पास उनके द्वारा पूर्व से प्रयोग में लाये जा रहे कब्रिस्तान व श्मशानों के सापेक्ष, 1.7010 है0 कब्रिस्तान हेतु भूमि क्रय/ अधिग्रहण तथा 2.2250 है0 श्मशान हेतु क्रय/अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर देय R&R हकदारियों की धनराशि तथा प्रस्तर-2(5) यथा 3.5533 है0 भूमि के अधिग्रहण/ क्रय किए जाने पर आने वाला R&R हकदारियों की धनराशि पृथक से देय होगी। यह देय धनराशि जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा कालान्तर में उपलब्ध कराए जाने वाले प्रस्ताव के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जाएगी।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 8,37,26,529/- (रूपए आठ करोड़ सैंतीस लाख छब्बीस हजार पॉच सौ उनतीस मात्र) तत्काल आवंटित कर कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निर्वतन पर रखी जायेगी और कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत पूँजीगत लेखा-लेखाशीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य'' से वहन किया जाएगा।

4/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7- 662/दस-2021, दिनांक 31 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

संख्या- 56/2021/795(1)/छप्पन-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
4- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
5- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
6- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
7- कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
9- विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया), नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, गौतमबुद्धनगर।
10- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1/राजस्व अनुभाग-13.
12- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।